



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्थहल्ली कालोनी पोस्ट, बैंगलुरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1582 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1582

विषय / Sub: एल सी ए हेतु कैनॅपि सेवरेंस सिस्टम (सीएसएस)
Canopy Severance System (CSS) for LCA

यह घोषित किया जाता है कि आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (एआरडीई), आर्मेंट पोस्ट, पाषाण, पुणे - 411 021 और हाई एनर्जी मेटीरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी (एचईएमआरएल), आर्मेंट पोस्ट, सुतरवाडी, पुणे - 411 021 द्वारा संयुक्त रूप से अभिकल्पित विकसित एवं उत्पादित इन-फ्लाइट एग्रेस सिस्टम और ग्राउंड एग्रेस सिस्टम को समाविष्ट करते हुए "कैनॅपि सेवरेंस सिस्टम (सीएसएस)" जिसकी पार्ट संख्याएँ परिशिष्ट 'बी' में उल्लेखित हैं, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1582, दिनांक 01 दिसंबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1582 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/ टीए-1582/ए, दिनांक 06 अगस्त 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

This is to state that the "Canopy Severance System (CSS)" comprising of In-flight Egress System and Ground Egress System bearing Part numbers as mentioned in Appendix 'B', designed, developed and manufactured jointly by Armament Research & Development Establishment (ARDE), Armament Post, Pashan, Pune – 411 021 and High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL), Armament Post, Sutarwadi, Pune – 411 021 was issued with Type Approval Number 1582 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1582, dated: 01st December 2010 with validity up to 31st December 2015. Subsequently an amendment was issued vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA – 1582 / 1A, dated 06th August 2013.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 अप्रैल 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एयर आर्मेंट), पुणे - 422 021 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st May 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th April 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Air Armament), Pune - 411 021, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1582, दिनांक 01 दिसंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/ 5070/ TA-1582, dated: 01st December 2010 is amended as stated herewith.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बैंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency].”

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

Encl: Appendix 'B'

सं. / No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1582/1R

दिनांक / Date : 03 May 2017

फैक्स सं. / Fax No: 080 – 25230856

03/05/17
KJ
315

P Jayapal

पी. जयपाल / P. JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)